

रजिस्टर्ड

सेवा में

प्रबन्धक,

उपर सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

उत्तर प्रदेश,

क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद ।

हीरा लाल यादव बालिका विद्यालय
गौरी सरोजिनीनगर, लखनऊ.....

पत्र संख्या साई० प्रो० माध्यमिका/ 201

इलाहाबाद, दिनांक 25-4-1998

सीधे कक्षा 9 व 10

विषय--जापका/ हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की साम्यता का प्राप्ति-पत्र ।

महोदय, राजाजा संख्या 4432/15-7-4/1083/1997 दिनांक 8.12.1997 द्वारा शासन ने माध्यमिक शिक्षा एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्कृति के उपसह-इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 19(4) (क) के अंतर्गत आपके विद्यालय को अस्सक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की 12000 की हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में विद्यमान माध्यमिक विद्यालयों के समान प्रदान किया है ।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के पब्लिश से (जैसे अध्यापकमण, सञ्चाल, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं धार्मिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/अध्यापक-उप निरीक्षक (माओ) को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनके लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय । नितः उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अनाय व अनियमित होगी और इसके लिये संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे ।
- (2) इस आवेदन-पत्र के निम्न शर्तों की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/अध्यापक-उप निरीक्षक (माओ) से 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त साम्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।
- (3) संरक्षा का पदवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय । इसके लिये सि गल सॉर्टेड डेस्क व चोयस ही स्वीकार किये जायेंगे ।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अंशकालिक अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय ।
- (5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय ।
- (6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें ।

MANAGER

PRINCIPAL

Heeralal Yadav Balika Inter College
Gauri Sarojini Nagar, Lucknow

पृष्ठ 50 उ०

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई त्रुटि गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रवृत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।
 - (ख) विद्यालय द्वारा कक्षा 9 व 10 के अतिरिक्त यदि अन्य कक्षाएं संचालित की जाती हैं तो वे अमान्य होंगी तथा हाईस्कूल का श्रम नहीं होगी।
 - (ग) विज्ञान तथा प्राकृत लोच के अन्तर्गत एक साथ जमा 20000/-को अलग अलग जमा कर परिषद को सूचित किया जाय।
 - (घ) भवन/भूमि एवं क्रीडास्थल विद्यालय के निजी स्वामित्व में होने का सचित्री प्रमाण की प्रमाणित फोटो प्रतियां भेजी जाय।
- वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
तीर्थे हाईस्कूल साहित्यिक नवीन	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गृहविज्ञान, विज्ञान, तामामाजिक विज्ञान आर्य समाज के उत्पादक एवं प्रसारण कार्य	नागरिकशास्त्र

दिप्तीय--(1) वक्षा... में प्रवेश हेतु कम से कम... छात्र उपरुक्त होने तथा इस वक्ष में अहित
हमरत अतिर वीं (निर्दिष्टियों के छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरक्षण, निर्दिष्ट कृपया वक्षा संवर्धन की
अनुमति प्रदान करे।

संलग्न- भवनविश्लेषण

मन्त्रीय,
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संस्था आई० सी० मान्यता/घ/

दिनांक

अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

- (1) जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय उप-निदेशक (म०)। लखनऊ
 - (2) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक। लखनऊ
 - (3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
 - (4) हाई स्कूल/इन्टरमीडियट-बरोक्षा, संस्थागत अनुभाग।
- अपर सचिव परिषद मुख्यालय, इलाहाबाद।

MANAGER

Heeralal Yadav Balika Inter College
Sarojini Nagar, Lucknow-226008

अपर सचिव
PRINCIPAL

Heeralal Yadav Balika Inter College
Gauri Sarojini Nagar, Lucknow

10140 यू० पी०-199 मा० शिक्षा प०-21-1-97--10,000 प्रतियां (पी० सी०)।

प्रेषक,

सेवा में

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश,
सेन्ट्रल कार्यालय, इलाहाबाद।

प्रबंधक,

हीरा लाल यादव बालिका विद्यालय
गौरा सरोजिनी नगर लखनऊ

पत्र संख्या आई० बी० मान्यता/इ/ 894

इलाहाबाद, दिनांक

23-7-1999

विषय—आपका ~~सूचना-पत्र~~ स्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/प्रतिनिरित (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्राधान्य-पत्र।

महोदय, राजाज्ञा संख्या 919/15-7-4/10831/1997 दि० 20 अप्रैल 1999
आसन नं०/मान्यता समिति एवं समाप्ति माध्यमिक शिक्षा परिषद की संमति के अन्तर्गत इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा 7-(4) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को ~~स्कूल/बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद की 2001 की ~~सूचना-पत्र~~ स्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/प्रतिनिरित वर्ग/विषयों के विद्य विहीन मान्यता दिव्य जाने का आवेदन प्रदान किया है।

स्थानान्य प्रतिबन्ध

- (1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन/प्रतिनिरित कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के तन्त्र से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं वार्षिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन में जिला विद्यालय निरीक्षक/सहायक उप शिक्षा निरीक्षक (मा०) को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अनाय व अनियमित होगी और इसके लिये संस्थाधिकारी ही स्वयंसेव उत्तरदायी होंगे।
- (2) इस आवेदन-पत्र के निर्गत होने की तिथि से ही वर्ग के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/सहायक उप-शिक्षा निरीक्षक (मा०) से 01/11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदान भाव्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) कक्षा की व्यवस्था आसन द्वारा निर्धारित मानक के अन्तर्गत की जाय। इसके लिये सिविल सीटेंड ड्रेस व बेसमें ही स्वीकार किये जायेंगे।
- (4) इस पत्र में उचित विषयों के अध्यापकों/परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अनुशासन, अनुशासकी/अध्यापिकाओं की नियुक्ति निश्चयानुसार की जाय।
- (5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।
- (6) ~~अन्य~~ कक्षा संचालित करने का अवसर स्वयं संस्थाधिकारी स्वयंसेव वहन करें।

Pradha
PRINCIPAL

Heeralal Yadav Balika Inter College
Gauri Sarojini Nagar, Lucknow

[Signature]
MANAGER

Heeralal Yadav Balika Inter College
Sarojini Nagar, Lucknow-226008

विशेष प्रतिबन्ध

(क) उक्त इका प्रेषित भाषणा एकाकी विषय से यदि कोई दूधना प्राप्त कही जाय तो ही प्रेषण के लिये प्रेषण किया जा ही पायेगी।

(ख) उक्त मान्यता हेतु जमानत के रूप में 5000/- तथा इन्टर स्तर प्रायत बोध में 5000/- और तुरन्त बोध हेतु 2000/- नगद जमा कर निरीक्षक के पद पर जमाकर प्रमाणपत्र निरीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत करें।

(ग) 8x4 मीटर माप का दो शिक्षण कक्ष, एक, 5x6 मीटर माप का एक वैकल्पिक कक्ष एक कक्ष के अन्दर बनवाया जाये।

(घ) उक्त मान्यता को अंगीकार करने के सम्बन्ध में प्रमुख्यालय का पारित प्रस्ताव निरीक्षक के सम्बन्धित माध्यम से एक माह के भीतर भेजे।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	संस्कृत विषय	वैकल्पिक विषय
इन्टर सांख्यिक वर्ग	हिन्दी	अंग्रेजी, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र।

विशेष- (क) उक्त इका प्रेषित भाषणा एकाकी विषय से यदि कोई दूधना प्राप्त कही जाय तो ही प्रेषण के लिये प्रेषण किया जा ही पायेगी।

सचिव,
23.7.99
अपर सचिव
23/7/99

सुपरीम इका क्रमांक 894 1-5 विषय 23-7-99

निरीक्षक निरीक्षक अधिकारियों को प्रेषण एवं वास्तविक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) शिक्षा विभाग निरीक्षक (अधीनस्थ) के शिक्षा विभाग (अधीनस्थ)
- (2) सहायक संचालक शिक्षा विभाग (अधीनस्थ) के शिक्षा विभाग (अधीनस्थ)
- (3) उक्त शिक्षा विभाग (आयुक्त) शिक्षा निरीक्षक, 20 प्र०, इलाहाबाद
- (4) उक्त शिक्षा विभाग (अधीनस्थ) परीक्षा, संस्थागत अनुपात

(5) सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद 30 प्र०, इलाहाबाद

MANAGER
Heeralal Yadav Balika Inter College
Sarojini Nagar, Lucknow-226008

PRINCIPAL
Heeralal Yadav Balika Inter College
Gauri Sarojini Nagar, Lucknow

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

सेवा में,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा, परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

प्रबन्धक,

हीरा लाल यादव बालिका 50का0
गौरी सरोजनीनगर लखनऊ।

पत्र संख्या: आई0 बी0 मान्यता/2909

दिनांक 1-3-2005

विषय:—इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने राजाजी संख्या 9165/15-7-04-48/15598/2003 दिनांक 14 जनवरी 2005

द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 9(4) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष 2006 को इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में वित्तविहीन मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क क के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क क के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय को प्रदत्त मान्यता को 1 वर्ष कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन को व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत कराये।
- (2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 1 वर्ष कक्षा संचालित करने का विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दो जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) मान्यता पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनाथ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।
- (4) नियमानुसार एक योग्य प्रध्यापनाचार्य/प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।
- (5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षाओं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क क के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे।

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना एवं प्रमाण मिथ्या या गलत पाया जाता है अथवा तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

MANAGER

Heeralal Yadav Balika Inter College
Sarojini Nagar, Lucknow-226008

[20 90 30]

PRINCIPAL

Heeralal Yadav Balika Inter College
Gauri Sarojini Nagar, Lucknow

- (ख) प्रबन्ध तंत्र द्वारा इस आशय का परित प्रस्ताव कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क कके प्राविधानों को बिना किसी धर्त के अंगीकार किया जाता है, तत्काल निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को रिया जाना अनिवार्य होगा। प्रस्ताव प्राप्त न होने की दशा में प्रदत्त मान्यता परिषद्/शासन द्वारा प्रत्याहृत कर ली अ.यर्ग, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।
- (ग) विद्यालय की इण्टर वैज्ञानिक अति० वर्ग की प्रतिभूति में रूपया 5000=00 एवं अतिरिक्त विषयों की मान्यता हेतु प्रति विषय 3000=00 की दर से प्रतिभूति रूपया 12000=00 विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पदनाम में बन्धक होने का प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाय।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर विषय वर्ग	मानविकी अति० वैज्ञानिक अतिरिक्त हिन्दी	चित्रकला, मनो विज्ञान, इतिहास, संगीत, गायन भौ. वि. रसा. वि., जीव विज्ञान, अंग्रेजी एवं
टिप्पणी:- उक्त पत्र में अंकित सामान्य एवं विशेष प्रविधानों की पूर्ति 6 (छ) माह के अन्दर किये जान की गणित आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।		

भवदीय,

20/3/2015
क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या:- आई० बी० मान्यता/

दिनांक

200

उपयुक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनाय एवं आदेशक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1--जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
- 2 -संभागीय मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ
- 3--संभागीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ
- 4-- इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
- 5--सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सी० एन० यू० ए०--71 मा० धि प०--20-7-2002--10,000 (जाब)।

MANAGER

Heeralal Yadav Balika Inter College
Sarojini Nagar, Lucknow-226008

Prachi

PRINCIPAL

Heeralal Yadav Balika Inter College
Gauri Sarojini Nagar, Lucknow

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा, परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद

सेवा में,

प्रबन्धक,

हीरालाल यादव बालिका इंटर कॉलेज,
गौरी सरोजनो नगर, लखनऊ ।

पत्रांक:-आई0 बी:0 मान्यता/ 2719

दिनांक 17.2.2005


विषय:-इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं समापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7-क (क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष 2006 की इंटरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में वित्तविहीन मान्यता इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा 7-क (क) के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7-क (क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11 वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्रागृत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत कराये।
- (2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनाथ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पत्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।
- (4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इंटरमीडिएट की तवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।
- (5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षाएँ संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे तथा इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7-क (क) के समस्त प्राविधान यथावत लागू होंगे।


MANAGER

Heeralal Yadav Balika Inter College
Sarojini Nagar, Lucknow-226008

[कु0 प0 उ0


PRINCIPAL

Heeralal Yadav Balika Inter College
Gauri Sarojini Nagar, Lucknow

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

(ख)

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर मान्यिकी वर्ग के अन्तर्गत अतिरिक्त विषय	-----	गृह विज्ञान एवं अर्थशास्त्र

टिप्पणी:--उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6 (छः) माह के अन्दर किये जाने की आस्था एवं प्रमाण निरोक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,
2-17/2/2008
क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।


पृष्ठांकन संख्या : आई० बी० मान्यता/
उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनायं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--
1--जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ।।
2--संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ
3--संभागीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ ।
4--इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
5--सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्यालय इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पी० एम० यू० पी०-72 मा० शि० प०-20-7-2002--10,000 (जाब) ।


MANAGER

Heeralal Yadav Balika Inter College
Sarojini Nagar, Lucknow-226008


PRINCIPAL
Heeralal Yadav Balika Inter College
Gauri Sarojini Nagar, Lucknow

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
हीरा लाल यादव बालिका इण्टर कालेज,
सरोजनीनगर, लखनऊ।

पत्रांक:-मा०शि०प०/क्ष०का०इ०/मान्यता/ 1129

दिनांक-30.8.2018

विषय:- इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।


महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष- 2017 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा-7क(क) के प्रावधानों के अधीन प्रदान किया है।


सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-7क(क) के प्रावधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11 वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद को अवगत करायें।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद कार्यालय को 11 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।
- (4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।
- (5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षाएँ संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा-7क(क) के समस्त प्रावधान यथावत् लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

कृ०प०उ०


MANAGER

Heeralal Yadav Balika Inter College
Sarojini Nagar, Lucknow-226008


PRINCIPAL

Heeralal Yadav Balika Inter College
Gauri Sarojini Nagar, Lucknow

(2)

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) ✓ संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।
- (ख) ✓ विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी वैयक्तिक योग्यताओं को साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहृत कर ली जायेगी।
- (ग) ✓ प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि: ₹0 5000/- (₹0 5000/- एवं ₹0 3000/- प्रति वर्ग/प्रति विषय की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पद नाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजे।
- (घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-11-2012 के विरुद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले किलयरी-फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अन्तर्गत होने।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर वाणिज्य वर्ग अतिरिक्त।	हिन्दी	विवरण पत्रिकानुसार।

टिप्पणी—उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छ) माह के अन्दर किये जाने की अपेक्षा एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

सचिव,
क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।


पृष्ठांकन सं०: मा0शि0प0/क्षे0का0इ0/मान्यता/


दिनांक— 20

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
- 2— संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
- 3— संभागीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
- 4— इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
- 5— सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।


MANAGER
Heeralal Yadav Balika Inter College
Sarojini Nagar, Lucknow-226008


PRINCIPAL
Heeralal Yadav Balika Inter College
Gauri Sarojini Nagar, Lucknow